न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या– 40/2013

1. श्री नाथू पुत्र श्री रूपा आयु– 60 वर्ष
2. श्री कैलाश पुत्र श्री रूपा आयु 33 वर्ष
   जाति दरोगा निवासीयान– आकरोल(रामपुरा) तहसील मसूदा जिला अजमेर(राज0) .....वादीगण

बनाम

1. श्री भैरू पुत्र श्री देबी
2. श्री सम्पत पुत्र श्री देबी
3. श्री शान्तिलाल पुत्र श्री भैरू
4. श्री कैलाश पुत्र श्री भैरू
   समस्त जाति दरोगा निवासीयान– आकरोल रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर
5. राज0 सरकार जरिये भूधारक एंव लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय,मसूदा .....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–23.11.2016

इस वाद पत्र मे वादीगण ने सारांशत निवेदन किया है कि ग्राम आकरोल पटवार क्षेत्र शिवनगर भू0अ0नि0 रामगढ तह0 मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादास्पद आराजी ख0न0 125 रक्बा 02–02–00 बीघा भूमि वादीगण की खुद काश्त से खातेदारी मे चली आती है। जिसे लेकर प्रतिवादीगण की नियत बद हो गई है और वे इस पर जबरन कब्जा करना चाहते है। तथा बेचान करना चाहते है उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे तथा यदि दौरान वाद प्रतिवादी स0 1 से 4 कब्जा कर लेवे तो कब्जा वापस वादीगण को दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने पर भी प्रतिवाद पत्र पेश नही करने से अधिकार बंद किये गये। तथा शहादत वादी मे रखी गई। वादीगण कोई शहादत पेश नही की।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई । वादीगण के अभिभाषकके तर्क वाद अनुसार रहे वही अभिभाषक प्रतिवादीगणके तर्क रहे कि विवादित आराजी मे उनकी काई दखलंदाजी नही सीमा विवाद है। वाद झूठा है खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादीगण विवादित आराजी मे खातेदार आराजी मे खातेदार काश्तकार है वे अपनी आराजी की सुरक्षा के लिए ऐसा वाद लाने के अधिकारी पाये जाते है। पत्रावली पर दौरान वाद प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा का लिए जाने संबंधी कोई सुचना उपलब्ध नही है।

इसी स्थिती मे वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण की विवादित आराजी ख0न0 125 वाके ग्राम आकरोल मे जबरन कब्जा करने तथा हस्तान्तरण एंव भारग्रस्त आदि करने से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2016 को राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 11:21:07 IST
Reason: SelfAttested